न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन

वाद सं. 76/2013

उनवान

1. घीसा पुत्र स्व. श्री मोतीलाल जाति बलाई, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

वनाम

1. चिन्टु शर्मा पुत्र अर्जुन लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीनारायण स्कूल के पीछे मोरीजा रोड कस्या चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. मुकेश कुमार मेहता पुत्र गिरधारी लाल मेहता जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. बरजी देवी पत्नी माना
4. विजय दत्तक पुत्र माना
5. केशरी पत्नी कल्याण
6. बिनाराम दत्तक पुत्र कल्याण
7. सत्यनारायण पुत्र स्व. विरदा
8. पप्पू पुत्र स्व. विरदा
9. सुनील पुत्र नाथू
10. रजनी पत्नी हनुमान जाति खटीक निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
11. उप–पंजियक उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 07.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 18.05.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 07.12.2021 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। वादी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुउपस्थित है। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार तहसील चौमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 07.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि के आ0ख0न0 3401 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा–बी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक करेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. घीसा पुत्र मोती हिस्सा हि[illegible] जाति [illegible] सा[illegible] देह खातेदार को खसरा नम्बर 3401/1 रकबा 0.0966 है[illegible] [illegible] 01 का कुल रकबा 0.0966 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से [illegible]या गया है, दी जाती हैं।
2. कल्याण पुत्र बोदू हिस्सा 1/4 नाथूलाल पुत्र [illegible]ला हिस्सा 1/8 बिरदा[illegible] मोटाराम हिस्सा 1/4 मानाराम पुत्र बोदू हिस्सा 1/4 जाति बलाई रजनीदेवी पत्नी हनुमान सहाय हिस्सा 1/8 जाति खटीक सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 3402/2 रकबा 0.1934 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.1934 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:37:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:57:22 IST
Reason: SelfAttested